

Entry

अच्छल अधिकार का अत्यावृत्त कर द्वारा प्रमाणित

समाप्त की गई अतिरिक्त सूची सं. 1309/2016

239

23/11/16

अच्छल अधिकार का अत्यावृत्त कर दिनांक 1309/2016 संख्या 1309/2016
सूची सं-1309/2016 सं-1309/2016 सं-1309/2016 सं-1309/2016
दिनांक 09.12.1988 में भविष्य दिनांक क अनुसूचित
गैरसंवर्धित खात भूमि की कालम की गयी जमाबंदी को जॉब प्रोसेस की गई। जोध क
काम में तत्काल कर्मचारी एवं अच्छल निरीक्षक द्वारा प्रतिक्रिया किया गया है कि निम्नांकित
विवरण की भूमि -

गाँव: बड़बोहरा खाना नं. 182 खाला सं. 62 लॉट सं. 3.24
एकड़ भूमि जे गैरसंवर्धित खात अत्यावृत्त कर

इसके अतिरिक्त के खात को सरकारी भूमि है जिसको जमाबंदी सूची में शामिल क नहीं क
जमाबंदी करती है। जैमनी महानी पति श्याम महारी
के नाम में कालम है।

बड़बोहरा

इसका कर्मचारी एवं अच्छल निरीक्षक द्वारा जैमनीपति उपरोक्त विवरण की भूमि क
दिनांक कालम जमाबंदी का सही प्रतिक्रिया किया गया है।

इसका कर्मचारी एवं अच्छल निरीक्षक द्वारा समर्थित जॉब प्रोसेस क प्रतीत होता है
कि उपरोक्त जमाबंदी बिना सभ्य एकाधिकारी के आदेश क/अधीन सभ्यकारी के अधिन
पर/अधीन कालम जमाबंदी के अतिरिक्त पर/अधीन कालम निरीक्षण के अतिरिक्त पर/साथ
सुसंगठन के अतिरिक्त पर कालम की गई है जिसका उद्देश्य निम्नी जाण एवं जाण को प्रति
भाषित करना है।

प्रथम सूचना उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त विवरण की जमाबंदी की सूची
जमाबंदी अतिरिक्त प्रतीत होती है, जिसका विवरण अतिरिक्त सूची संख्या 1309/2016 की खाला
सं. 1309/2016 में दिया गया है।

अच्छल अधिकार जमाबंदी सूची को नॉटिस दिनांक क उपरोक्त सूची सं-1309/2016 सं-1309/2016
भूमि हस्तांतरण/निर्गत जमाना सूची की भूमि को तथा जमाबंदी कालम सूची क कि जमा
अतिरिक्त जमाबंदी का कर्मचारी मानने हुए अतिरिक्त अतिरिक्त सूची संख्या 1309/2016 की खाला सं. 1309/2016
के तहत रखन जमाबंदी का वह करके है। अनुसूचित किया गया

अतिरिक्त दिनांक का अत्यावृत्त कर

संकेतित एवं संशोधित

अच्छल अधिकार
द देवपुरा

23/11/16
अच्छल अधिकार
द देवपुरा

नीति तमिली हेतु पात्रा
जो 24 सप्ट गवर्ना

9/8/16

अज्ञित उपस्थापित किता गथा / नीति
 नागिका के पश्चात् प्राप् सुत्रा 1 जगदी
 रैग के वंशज ह्य न्यायान्त में उपस्थित
 हांवा लागत ख्रीद की धारा प्रति वर्ष
 1984 तक वक्त अन्त कागजात समिति
 किता गथा है / जो प्रजाप नही है, उनके
 ह्य किली लक्ष्य पदाधिकारी के आदेश
 की प्रति एवं अन्त साक्षी की हल
 प्रति । पलापि प्रति लगा गही किता
 गथा है, जो अगकी दावे की धुष्टि
 कारण है ।

अज्ञा रेयी परिस्थिति में
 खलवित्त राजस्व कार्यकारी एवं अन्त
 निरीक्षण के प्रतिवेदन एवं अनुक्रांता के
 आधार पर उक्त जगदी की 1984
 करने की अनुक्रांता की जाती है।

अज्ञात का रिकॉर्ड है अज्ञित
 मुक्ति सुधार उप साक्षी, धानगाद का
 मेले

9/8/16
 अन्त अथि
 अज्ञित

वाद अभिलेख संख्या- 229 / 2018 (अनुत्तर धारा-41b, III.E Act, 1950)

स्थान

बनाम

जैमनी महतानी, पति श्याम महतो
राम बहादुर

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि नीचा- बहादुर धरणा नं०- 182
खाता नं०- 62 खसरा नं०- 3-24 पर आपका नाम से
हो नं०- 311 के पत्नी-11 भाग के प्लट पर दण्ड जमावदी प्रश्न दृष्टया
राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जी.के.एन. सर्वेक्षण प्रतिक्रियित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- 08/8/16 को समय-11.00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुजूमनामा, मूलापूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य उक्त साक्ष्यों की मूल प्रति/प्रतिलिपि प्रति जो आपके उक्त
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अजीहस्तावती के कर्तव्य प्रकाश में उपस्थित
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

समद रहे कि अनायास कि स्थिति में समाप्त जाएगा कि उक्त तथ्य में आपके कुछ
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए
दण्ड जमावदी के संबंध में युक्ति-पूर्वक निर्णय लेते हुए विधिबन्धन अनुसूचना कर दी जायेगी।

इसे शरत ताकीद जानें।

दिथि:- मुहर
स्थान:-

अनुत्तर अधिकाारी
बलिया

20/8/16

robil C:\Users\... Desktop\bin\of s\court case.docx

विमल चन्द्र महतो

जोयिस बलिया जिला
घां० नं० सपक महतो

06/8/16